अनुसूचित जाति एवं जनजाति अपराध निवारण अधिनियम – 1989

- यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम को 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया।
- इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएं है।

➢ **उद्देश्य :–**

- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करना, ST/SC समाज पर होने वाले अत्याचार का अंत कर समाज की मुख्य भूमिका से जोड़ना अपराध से पीड़ित व्यक्ति को राहत, पूर्नवास, न्याय तथा अन्य सुविधाएं समाजिक समानता व समरस्ता के साथ दो शोषित वर्ग का सशक्तिकरण करना।

अध्याय :– 01
प्रारंभिक || धारा 01 व 02

➢ **धारा 01 :– संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ**

- **संक्षिप्त नाम** – अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989
- **विस्तार** – संपूर्ण भारत
- **प्रारंभ** – 30 जनवरी 1990

➢ **धारा 02 :– परिभाषा**

- इस अधिनियम में जब तक के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो
  - ✓ अत्याचार से धारा 3 के दण्डनीय अपराध अधिकृत है।
  - ✓ अनूसूचित जाति व जनजातियों के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और खण्ड (25) में है।
- इस अधिनियम में अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसे उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो के प्रति निर्देश है।
- **पीड़ित**
  - ✓ ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति व जनजाति के भीतर आता है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक भावनाओं व धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन का अनुभव कराता है व जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक व विधिक वारिस भी है।
- **साक्षी**
  - ✓ ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध के अंतर्वलित किसी अपराध की अन्वेषण जाँच या विचारण के प्रयोजन के लिये तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामलों के अन्वेषण, जाँच या विचारण के दौरान जानकारी देने, कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये उपेक्षित है या उपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है।
- **सामाजिक बहिस्कार**
  - ✓ 'सामाजिक बहिष्कार' से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिये या उससे प्राप्त करने के लिये, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएँ या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिये किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना अभिप्रेत है।
- **आर्थिक बहिस्कार**
  - ✓ यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के साथ काम करने, सदस्यों को सेवा प्रदान करने, नौकरी देने से मना करता है तो इसे आर्थिक बहिस्कार कहा जाएगा।

अध्याय :– 02
अत्याचार के अपराध एवं दण्ड प्रावधान || धारा 03 व 09

➢ धारा 03 :– अत्याचार के अपराध

- इस अधिनियम में 22 प्रकार के अपराध माने गए है।
- गौर ST/SC व्यक्ति किसी ST/SC व्यक्ति के उपर निम्नलिखित कार्य करता है तो उसे अपराधी माना जायेगा।
  - ✓ किसी सदस्य के मुख मे कोई अघाद्य घृणात्मक पदार्थ खाने पर मजबूर करना
  - ✓ किसी सदस्य द्वारा परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर पर घृणात्मक पदार्थ, मल–मूत्र, मृत पशु फेंकना या घृणाजनक पदार्थ इकठ्ठा करना।
  - ✓ किसी सदस्य को जुतों की माला, नग्न, अर्धनग्न कर घुमाना
  - ✓ किसी सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कार्य करना जैसे मुण्डा करना, कपड़ा उतरवाना, मुंछ हटवाना, कालिक पोतना जो मानव गरमिा के विरूद्ध हो।
  - ✓ किसी सदस्य की भूमि अधिग्रहण करना या उस पर खेती करना।
  - ✓ जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करना
  - ✓ बैगिंग अपराध करना।
  - ✓ किसी सदस्य से बेगार, बलातश्रम या बंधुवामजदूरी कराना
  - ✓ मृत्य पशु शरीर का उठाने व अंत्येष्टि के लिए मजबूर करना या मैला ढोना कब्र को खोदने के लिए विविश करना।
  - ✓ किसी सदस्य को जबरन मतदान व नामांकन से रोकना
  - ✓ मतदान के दौरान अत्याचार, मार–पीट व आर्थिक व सामाजिक बहिस्कार करना।
  - ✓ अनुसूचित जाति व जनजाति की धार्मिक स्थान, मान्य वस्तु, मूर्ति, शब्दचिन्ह को अपमानित करना।
  - ✓ किसी व्यक्ति को जादू–टोना के शक में शारीरिक व मानसिक पीड़ा देना
  - ✓ अपमानित करना या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उपरोक्त घृणात्मक कार्य करना।
- **दण्ड :–**
  - ✓ इनमें से कोई भी काण्ड और ST/SC व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो 6 महीने व अधिकमत 5 वर्ष तक कारावास होगा

➢ धारा 03 (2) :– झूठी गवाही के लिए दण्ड

- झुठी गवाही देने के साथ यदि 7 वर्ष का कारावास हुआ है तो 6 माह से लेकर 7 वर्ष का कारावास की सजा झुठी गवाही देने वाले को दी जायेगी।
- अग्नि या विस्फोट से जानबुझकर निवास सम्पत्ति या पुजा स्थल को नष्ट करने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है।
- भारतीय दण्ड संहिता–1860 में 10 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
- इस अध्याय के अधीन किये गये अपराध से अपराधी को बचाने की दृष्टि से झुठे सबूत या गवाही देने पर अपराधी के बराबर सजा दी जाएगी।
- लोकसेवक के रूप में उपरोक्त किसी भी अपराध में दोषी पाये जाने पर कम से कम 1 वर्ष व अधिकतम अपराध के लिए प्रावधानिक दण्ड दिया जाएगा।
- **नोट** :– यदि फांसी दे दिया गया है, तो झुठा गवाह देने वाले गैर अनुसूचित जाति व जनजाति व्यक्ति को फांसी होगी।

➢ धारा 04 :– लोक सेवकों द्वारा कर्त्तव्य की उपेक्षा किये जाने पर दण्ड

- FIR दर्ज नहीं करने पर
- FIR तो दर्ज करना लेकिन इस अधिनियम के धाराओं को नहीं लगाना।
- FIR लिखने के बाद शिकायतकर्ता को पढ़कर नहीं सुनाना व हस्ताक्षर लेने से पूर्व पुष्टि न करवाना।
- यदि 60 दिन के अंदर जांच कर विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो उन्हें दण्ड दिया जा सकता है।

- दण्ड का प्रावधान 6 माह से 1 वर्ष तक हो सकता है।

➢ **धारा 05 :– पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए दण्ड**

- कोई अपराधी एक से अधिक या बार–बार अपराध करे या इस अधिनियम के तहत अपराध करे, तो दण्ड का प्रावधान 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक हो सकता है।
- 1 वर्ष से लेकर अधिकतम दण्ड उतना ही रहेगा। जितना प्रत्येक सजा/अपराध के लिए होता है।

➢ **धारा 06 :– भारतीय दण्ड संहिता के कतिपय उपबंधों पर लागू होना**

- इस अधिनियम के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की सभी धारा उस अपराधी के लिए मान्य होंगी। जिस अपराधी को उस अपराध के लिए दो दण्ड दिया जायेगा।

➢ **धारा 07 :– कतिपय व्यक्ति के संपत्तियों का अपहरण/समपहरण**

- किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति की सम्पत्तियों को विशेष न्यायालय निलाम करने का आदेश दे सकता है।

➢ **धारा 08 :– अपराधी के बारे में उपधारणा**

- यदि अपराधी यह कहे कि उस पीड़ित व्यक्ति के बारे में पता नहीं था फिर भी मजिस्ट्रेट यही मानकर चलेगा कि उसे उसकी जाति के बारे में सब पता था
- आर्थिक सहायता किये जाने पर जो अपराधी को दण्ड दिया जायेगा वही दण्ड आर्थिक सहायता करने वाले को भी दिया जायेगा।
- इसमें सामूहिक दण्ड का प्रावधान है।

अध्याय :– 03
निष्कासन || धारा 10 से 13

➢ **धारा 10 :– मजिस्ट्रेट को जब यह लगे कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र में अपराध कर सकता है तो उसे उस क्षेत्र से हटने का आदेश जारी कर सकता है।**

- निष्कासन 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता है।
- इस निर्णय के विरूद्ध 1 महीने तक अपील किया जा सकता है।

➢ **धारा 11 :– बिना अनुमति के निष्काशित क्षेत्र में प्रवेश करने से पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है।**

- विशेष न्यायायल लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है। वह बिना आदेश के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

➢ **धारा 12 :– फोटो, शारीरिक मापदण्ड ले सकता है।**

- ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे अपेक्षा किए जाने पर पुलिस अधिकारी को अपनी माप और फोटो लेने देगा।

➢ **धारा 13 :– धारा 10, 11 व 12 के उल्लंघन पर 1 वर्ष के दण्ड का प्रावधान है।**

- जो व्यक्ति धारा 10, 11 व 12 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।

अध्याय :– 04
विशेष न्यायालय एवं प्रकीर्ण || धारा 14 व 15

➢ **धारा 14 :– विशेष न्यायालय गठित करने का प्रावधान है।**

- अनुसूचित जाति व जनजाति के शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय गठित किया जायेगा।
- ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले के लिए सत्र न्यायालय व अधिक संख्या मामलों में आते है वहां राज्य सरकार एक से अधिक जिलों के लिए सत्र न्यायलय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।
- प्रत्येक जिले में होना अनिवार्य है। अरोप पत्र दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा यिका जाएगा।
- विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय दिन प्रतिदिन मामले की सुनवाई करेगी और मामले का स्थगन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसके लिए विशेष कारण नहीं दिया जायेगा।

- **14 (क) अपील**
  - ✓ सत्र न्यायालय के आदेश से अगर कोई अपराधी संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
  - ✓ उच्च न्यायालय 90 दिनों के अंदर सुनवाई करने की कोशिश करेगा।

➢ **धारा 15 :– विशेष लोक अभियोजक या अन्य लोक अभियोजक**

- विशेष लोक अभियोजक जिसनें कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया।

- **15 (क) पीड़ित व साक्षी के अधिकार**
  - ✓ पीड़ित व आश्रित व्यक्तियों को संरक्षण के लिए व्यवस्था करना।
  - ✓ आयु, जाति, लिंग, बीमारी के आधार पर भेदभाव नहीं किये जाने पर अपराधी के उपर कार्यवाही की जाती है।
  - ✓ पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहीयो के बारे में सुचित करेगा।
  - ✓ पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही या लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों को सुने जाने का अधिकार होगा।
  - ✓ पीड़ित/साक्षी के आने जाने का व्यय, रहने व खाने का व्यय राज्य सरकार व्यय करेगा।
  - ✓ जिसके उपर अपराध हुआ है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में उनके अश्रितों का भरण–पोषण राज्य सरकार करेगा।
  - ✓ अस्पताल के सुविधाओं में हुए खर्च राज्य सरकार वहन करेगा।

अध्याय :– 04
निष्कासन || धारा 16 से 23

➢ **धारा 16 :– राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति**

- इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूल करने के लिए और उससे संबंधित सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।

➢ **धारा 17 :– विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई**

- राज्य सरकार उपपुलिस अधिक्षक रैक स्तर वाले अधिकारी से जांच करवा कर इस अधिनियम के तहत अत्याचार ग्रसित क्षेत्र घोषित करके लोग व्यवस्था हेतु उचित निर्णय व कार्यवाही कर सकता है।

➢ **धारा 18 :– अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों पर IPC की धारा 360 या (धारा 432 (क)) अपराधी परिर्वीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू ना होना ।**

- इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।

➢ **धारा 19 :– यह अधिनियम 18 वर्ष से अधिक दोषी व्यक्ति से लागू होने के उपरांत IPC की धारा 360 लागू नहीं होगा।**

- अपराधी परिर्वीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

➢ **धारा 20 :– इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।**

- इस अधिनियम का किसी अन्य अधिनियम के इस रूढ़ि प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के लिए होते हुए भी प्रभावी होगें।

➢ **धारा 21 :– अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वय न करने हेतु सरकार के कर्त्तव्य**

- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार समय–समय पर इस अधिनियम के द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर प्रतिवेदन मंगवाएगा।
- पीड़ित व्यक्ति को विविध आर्थिक यात्रा भत्ता व भरण पोषण समाजिक पुर्नाहार पहुंचाना राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अपराध संसोधन अधिनियम –2015

- 26 जनवरी 2016 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संसोधन अधिनियम 2005 लागू हुआ।
  - ✓ सरकार द्वारा इसमें संसोधन कर उनकी राहत राशी 85,000 से बढ़ा कर 8,25,000 किया गया जिसमें उनका रहना खाना, चिकित्सा को शामिल किया गया है।
  - ✓ पीड़ित व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर भत्ता दिया जायेगा।
- यदि सजा व दण्ड 10 वर्ष से कम लग रहा है। इसके साथ–साथ IPC की धारा भी लगाया जायेगा।
- चार्ज सहि न्यायालय में जमा करने के 60 दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अपराध संसोधन अधिनियम –2018

- सुभाष काशीराम महाजन जो महाराष्ट्र में एक शिक्षक थे जिनके ऊपर ST/SC एक्ट लगाया गया था, मुकदमा चला जिसका निर्णय 20 मार्च को 2018 को आया जिसमें उनको दण्ड मिला। उसके बाद उन्होंने अपील दर्ज किया उच्च न्यायालय ने
- गिरफ्तारी पूर्ण उपपुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच कराया जाये।
- ASP/SSP के अनुमति के बाद ही गिरफ्तारी की जाये। अग्रिम जमानत पर भी यदि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की अनुमति है तो उन्हें जमानत दी जा सकती है।
- सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी से अनुमति आवश्यक है।
- अप्रैल 2018 में उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की गई।
- सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिपोर्ट मंगवाए जैसे –
  - ✓ NCRB – नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्युरो वर्ष 2016 में 11060 मामले दर्ज हुए। जिसमें से 935 मामलें पूरी तरह से गलत थे। व लगभग 6000 मामलें में दोषी व्यक्ति को बरी कर दिया गया।
  - ✓ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन पॉवरमेंट 2015 का रिकॉर्ड दिया जिसमें 15638 मामले एक साल में थे जसमें 11024 को बरी कर दिया गया 495 वापस ले लिए गये 419 ऐसे मामले थे जिसमें दोष को किसी ना किसी प्रकार से दण्ड दिया गया।
- **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय :–**
  - ✓ मुंबई हाई कोर्ट द्वारा किया गया निर्णय सही है।
  - ✓ हरियाणा में हुए दंगे से 8 लोगों की मृत्यु हो गई।